न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

Report on Days Celebrated and New Module Legal Services (Multi-Purpose) Camps held during the Month of June-2026 by UKSLSA/DLSAs

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax: 05942-236552, e-mail: slsa-uk@nic.in,
Website: https://uttarakhand.nalsa.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://nyaymitraslsa.uk.gov.in
Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa
Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873
Youtube Link: https://www.youtube.com/@ukslsa-uttarakhandstateleg6415
Toll Free No:-**UKSLSA**-18001804000, **NALSA**-15100

INDEX

S.N	Particulars	Page No.
1	**Environment Day**	3-8
1.1	Introduction	3
1.2	Objectives	4
1.3	Statistical Information	5
1.4	Picture Gallery	6-8
2	**World Day Against Child Labour**	9-14
2.1	Introduction	9
2.2	Objectives	10
2.3	Statistical Information	11
2.4	Picture Gallery	12-14
3	**World Blood Donor Day**	15-20
3.1	Introduction	15
3.2	Objectives	16
3.3	Statistical Information	17
3.4	Picture Gallery	18-20
4	**International Day of Yoga**	21-26
4.1	Introduction	21
4.2	Objectives	22
4.3	Statistical Information	23
4.4	Picture Gallery	24-26
5	**New Module Legal Services (Multi-purpose) camp in coordination with DLSA Bageshwar.**	27-30

World Environment Day (5th June, 2026)

In accordance with the Monthly Action Plan for June issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), all District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State observed "**World Environment Day"** on 5th June, 2026 through a series of legal awareness and outreach programmes.

The programme was conducted at educational institutions, public places, Panchayat Ghars and other suitable locations with the active participation of Judicial Officers, Panel Lawyers, Para Legal Volunteers (PLVs), Government officials, students, teachers, and members of the general public.

UKSLSA, Nainital

World Environment Day, observed every year on **5th June**, aims to encourage environmental protection and promote sustainable practices. During the awareness programme, participants were sensitized about the importance of preserving natural resources, preventing pollution, combating climate change, conserving biodiversity, and maintaining ecological balance.

The participants were also informed that the **theme of World Environment Day 2026 was "Beat Plastic Pollution."** Emphasis was laid on eliminating single-use plastic, promoting recycling, and encouraging community participation in environmental conservation.

During the legal awareness session, information was also disseminated regarding the constitutional and statutory framework relating to environmental protection, including:

- **Article 48A** of the Constitution of India – Protection and improvement of the environment.
- **Article 51A(g)** – Fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment.
- **Environment (Protection) Act, 1986.**
- **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974**.
- **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981**.
- **Plastic Waste Management Rules, 2016**.
- **Solid Waste Management Rules, 2016**.
- Relevant provisions of the **National Green Tribunal Act, 2010**.

The participants were encouraged to adopt sustainable lifestyles by practicing the principles of **Reduce, Reuse, and Recycle**, minimizing the use of plastic products, keeping their surroundings clean, and actively participating in community cleanliness and plantation initiatives.

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

विश्व पर्यावरण दिवस पर हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर में हुआ वृक्षारोपण

सचिन आर्य

हरिद्वार (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के सहयोग से आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री नरेंद्र दत्त जी रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा स्वयं वृक्षारोपण कर उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस जागरूकता व वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला न्यायालय हरिद्वार के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा जिला बार एसोसिएशन हरिद्वार के अध्यक्ष श्री जसमहेन्द्र सिंह,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, एल.ए.डी.सी अधिवक्ता, व लॉ इंटर्स समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने सम्बोधन में कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हम सभी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। वृक्ष न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि धरती को सुरक्षित रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे केवल पौंधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण का संकल्प भी लें।

इस अवसर पर स्थाई लोक अदालत की अध्यक्षा श्रीमती नीतू जोशी, (न्यायाधीश) ने भी वृक्षारोपण किया तथा उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारीगणों ने भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया और पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु एक विशेष मुहिम चलाई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। वहीं जिला कारागार हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार व जिला कारागार हरिद्वार प्रशासन के सहयोग से रिटेनर अधिवक्ता सीमा द्वारा बंदियों से चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमे बंदियों ने बढ़चढ़ कर प्रतिभाग किया।

As per the Data received from DLSAs the Consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attented	Remark
1	Almora	District Court Almora & Pandey Khola to Hydel Gate Almora.	1397	Total 46 places covered by PLVs and Tree Plantation drive was organised.
2	Bageshwar	District Court Campus, Bageshwar.	1521	Total 66 places covered by PLVs and Tree Plantation drive was organised.
3	Chamoli	District Court Campus, Vill. Kot-Kandara, District jail Chamoli.	1503	Total 65 places covered by PLVs and Tree Plantation drive was organised in the campus.
4	Champawat	District Court Campus, Champawat.	42	Tree Plantation Drive in the campus & Legal Literacy camps in Banbasa and Tanakpur.
5	Dehradun	GGIC, Rajpur, SDM Sabhagar, Musoorie & Doiwala Compound.	205	Camp by TLSC Mussorie and Doiwala.
6	Haridwar	District and Session Court Campus.	452	Camps, Rallies, Nukkad natak and door to door awareness camps by PLVs.
7	Nainital	District court Nainital and Outlying Courts.	447	Plantation Drive and Legal Literacy awareness camp.
8	Pauri Garhwal	District court campus Pauri & Court campus Lansdowne.	85	Legal Awareness Camps and Plantation Drive.
9	Pithoragarh	District court campus, Balika inter College, Rajkiya Inter College Pithoragarh.	237	Plantation Drive and Legal Literacy awareness camp.
10	Rudraprayag	District court campus.	909	Total 24 places covered by PLVs and Tree Plantation drive was organised in the campus.
11	Tehri Garhwal	Shiv Mandir Marg, New Tehri.	55	Plantation Drive / Awareness Camps.
12	Udam Singh Nagar	District court Campus.	180	Plantation Drive at campus & Total 8 awareness Camps Organised by PLVs.
13	Uttarkashi	District court Campus.	1214	Plantation Drive at campus & Total 150 awareness Camps Organised by PLVs.

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADOON

HARIDWAR

NAINITAL

PAURI GARHWAL

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

UDHAM SINGH NAGAR

UTTARKASHI

सबसे तेज प्रधान टाइम्स

लक्सर तहसील परिसर में किया पौधारोपण

हरिद्वार : विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज (एसडी) हरिद्वार सिमरनजीत कौर के निर्देश पर अधिकार मित्र लक्सर नीरज कुमार और निधि ने तहसील परिसर लक्सर में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया जागरूक। इस अवसर पर एडीजे सुधीर कुमार सिंह, एसीजेएम (एसडी) श्रीमति ललिता सिंह और सिविल जज (जेडी)/सचिव तहसील विधिक सेवा समिति लक्सर श्रीमति पल्लवी गुप्ता मौजूद रहे।

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

देहरादून, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं माननीय जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशानुसार आज दिनांक 05 जून 2026 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज , राजपुर रोड, देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरुकता शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।

सचिव महोदया द्वारा उपस्थित विद्यालय की बालिकाओं और आसरा ट्रस्ट की बालिकाओं को उक्त विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण के संबंध में समाज के प्रति जागरूक करना है, जिसकी

शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया तथा प्रथम आयोजन वर्ष 1974 को मनाया गया। इस वर्ष 2026 की थीम के बारे में बताया गया और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, अधिक पौधारोपण और प्लास्टिक के कम उपयोग के लिए प्रेरित किया। साथ ही समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा सचिव महोदया द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, पोश और पॉक्सो एक्ट, महिलाओं और बालकों के विधिक अधिकार और आदि अन्य आवश्यक विषयों पर जानकारी दी। सचिव महोदया द्वारा पर्यावरण में पेड़ के महत्व के सम्बन्ध में बताया गया कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, जिसका महत्व मानव जाति को कोरोना जैसी महामारी में हुआ। इस तरह आज के कार्यक्रम में सभी को पर्यावण दिवस के आवश्यकता के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी दी और सचिव महोदया द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आज के कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेमलता बौड़ाई, डॉक्टर हरेंद्र चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में पराविधिक कार्यकर्ता श्री उमेश्वर सिंह रावत द्वारा अपना सहयोग दिया गया।

स्वामी, प्रकाशक और मुद्रक नीतू सिंह द्वारा 1/7 हरिद्वार रोड, देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित एवं जनभारत प्रेस 1/7 हरिद्वार रोड, देहरादून से मुद्रित। संपादक- गुरदीप सिंह। RNI No UTTHIN/2009/28642
टेलीफोन 0135-2621611,2721611 फैक्स 0135-2521611, e-mail : janbharatmail@gmail.com किसी भी प्रकार के वाद आदि का न्याय क्षेत्र देहरादून ही रहेगा।

World Day Against child Labour (12th June, 2026)

In compliance with the Monthly Action Plan for June 2026 issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA), Nainital, the District Legal Services Authorities and Tehsil Legal Services Committees organized Legal Literacy and Awareness Camps on the occasion of "**World Day Against Child Labour"** on **12th June, 2026** at schools, villages, Panchayat Ghars, public places, and other suitable locations.

During the awareness sessions, participants were informed about the following:-

1. Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986**.**
2. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
3. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015**.**
4. The Factories Act, 1948.
5. The constitutional safeguards provided under **Articles 21A, 23, and 24** of the Constitution of India**.**
6. They were also informed that employing children in hazardous occupations is a punishable offence and that every child has the right to education, protection, and holistic development.

Awareness was also created regarding the **Dowry Prohibition Act, 1961**, highlighting that giving, taking, or demanding dowry is a punishable offence. Information was disseminated about free legal aid services, the objectives of the Legal Services Authorities, and the availability of legal assistance through **NALSA Toll-Free Helpline – 15100**, **Legal Services Management System (LSMS)**, **Legal Aid**

Defence Counsel System (LADCS), **Child Helpline – 1098**, **Cyber Crime Helpline – 1930**, **Emergency Response Support System – 112**, and the **MANAS National Anti-Narcotics Helpline – 1933**.

Awareness Messages

- Every child has the right to education.
- Say **No to Child Labour**.
- Report child exploitation immediately.
- Free legal aid is available for eligible persons.
- Protect children from abuse, trafficking, and hazardous employment.

The programmes witnessed active participation from advocates, PLVs, local representatives, students, and members of the public. The awareness camps successfully promoted legal literacy and strengthened community participation in the eradication of child labour and protection of children's rights.

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर, न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला ने युवाओं को किया जागरूक

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता

सितारगंज। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रगति एजुकेशनल सोसाइटी, डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्र, सितारगंज में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सिविल जज (जू. डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, सितारगंज, नंदिता काला उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रशिक्षुओं को कानूनी अधिकारों, बाल श्रम निषेध कानूनों तथा दैनिक जीवन में विधिक जागरूकता के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने युवाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा बाल श्रम उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विभिन्न कानूनी विषयों पर अपने प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता सराहनीय रही। केंद्र प्रबंधक जयदीप गंगवार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम युवाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने माननीय अतिथि का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं में कानूनी जागरूकता का प्रसार समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अपने संबोधन में नंदिता काला ने प्रशिक्षुओं की सक्रिय भागीदारी एवं उत्साह की सराहना की। उन्होंने प्रगति एजुकेशनल सोसाइटी, डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्र, सितारगंज द्वारा युवाओं के विकास एवं जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री मनोहरमा गुप्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) मनोज कुमार, नीतू एवं बलजीत कौर, केंद्र प्रबंधक जयदीप गंगवार तथा प्रशिक्षण केंद्र के समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया तथा प्रशिक्षुओं को कानूनी जागरूकता के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाना, बाल श्रम के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना था।फोटो कैप्शनः विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रगति एजुकेशनल सोसाइटी, डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्र, सितारगंज में आयोजित विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में प्रशिक्षुओं को संबोधित करती माननीय सिविल जज (जू. डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, सितारगंज, नंदिता काला। इस अवसर पर केंद्र प्रबंधक श्री जयदीप गंगवार, अधिवक्ता मनोहरमा गुप्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV)मनोज कुमार, नीतू, बलजीत कौर एवं प्रशिक्षण केंद्र के स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

As per the Data received from DLSAs the Consolidated report is as under:

S.N	District	Place	Total No. of Person Attented	Remark
1	Almora	Adam's Inter College	527	PLVs organized Legal literacy & Awareness camps and Total 16 places covered by PLVs.
2	Bageshwar	Block Auditorium Bageshwar.	766	Legal awareness camp was organized and Total 22 places covered by PLVs.
3	Chamoli	Vill. Balkhila Chamoli	648	Legal awareness camp was organized and Total 33 places covered by PLVs.
4	Champawat	District Hospital.	53	Legal Literacy & awareness camp.
5	Dehradun	Shanti Nagar Rishikesh.	150	Camp by TLSC Rishikesh.
6	Haridwar	Total 105 places covered by PLVs.	1983	Camps, Rallies, Nukkad natak and door to door awareness camps.
7	Nainital	Madartion Sumi Pvt. Ltd.	598	Legal Literacy & awareness camp.
8	Pauri Garhwal	Vill. Kaleshwar, Vill. Lwali & Vill. Kandoliya Pauri.	181	Legal Literacy & Awareness Camps.
9	Pithoragarh	Rajkiya Balika Inter College & Tehsil Gangolihaat.	97	Legal awareness about Dowry Provision act 1961 and domestic violence Act 2005.
10	Rudraprayag	Vill. Mnsunaa, Rudraprayag.	623	Legal Literacy & Awareness Camps.
11	Tehri Garhwal	Nagar Palika Campus, Chamba, Tehri.	85	Legal awareness about Dowry Provision act 1961 and domestic violence Act 2005.
12	Udam Singh Nagar	Total 8 Places Covered By PLVs.	545	Identification and Rescue drive with labour Department.
13	Uttarkashi	Mount Valley Development Association Solonkhal,Dunda.	1487	Legal Awareness Camps & Total 134 Places Covered By PLVs.

CHAMOLI

CHAMPAWAT

RUDRAPRAYAG

DEHRADOON

HARIDWAR

NAINITAL

PAURI GARHWAL

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

UDAHM SINGH NAGAR

UTTARKASHI

बच्चों को सुरक्षा और शिक्षा उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी : सिविल जज

गंगोलीहाट मे आयोजित शिविर में मौजूद न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व अन्य • जागरण

संवाद सूत्र, जागरण, गंगोलीहाट(पिथौरागढ): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में तहसील विधिक सेवा समिति की द्वारा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज रजनीश मोहन ने की।

इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को बच्चों और नाबालिगों के उत्पीड़न की रोकथाम तथा बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बाल श्रम को बढ़ावा न देने और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेएस महरा, बार सचिव मनोज सिंह रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय पंत, जेएस देउपा, सुनील कुमार बोहरा, वीरेंद्र सिंह मलड़ा, संजय कुमार पाठक, राजेंद्र सिंह ऐर, प्रद्युम्न सिंह टोलिया, पुलिस कर्मी निर्मल नाथ गोस्वामीव मोहन चंद्र भट्ट, विनोद कुमार, तहसील कर्मियों सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनामिका सिंह ने विशेष बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों से की मुलाकात

अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा अनामिका सिंह ने सोमवार को मंगल दीप विद्या मंदिर खत्याड़ी एवं लैप्रोसी मिशन करबला का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने मंगल दीप विद्या मंदिर में अध्ययनरत विशेष बच्चों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों द्वारा तैयार किए गए क्राफ्ट,बैग एवं अन्य रचनात्मक वस्तुओं की सराहना करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की गई।इसके बाद लैप्रोसी मिशन करबला में वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं,स्वास्थ्य संबंधी स्थिति एवं अन्य आवश्यकताओं की जानकारी ली गई।साथ ही उन्हें विभिन्न विधिक प्रावधानों कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।कार्यक्रम में अधिकार मित्र भावना तिवारी,संदीप सिंह नयाल एवं सरिता आर्या भी उपस्थित रहे।

World Blood Donor Day (14^{th} June,2026)

In accordance with the Monthly Action Plan issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, the District Legal Services Authorities organized activities to observe World Blood Donor Day on **14^{th} June 2026** with the objective of promoting voluntary blood donation and creating awareness among the general public regarding the importance of safe and regular blood donation.

The observance of this day serves as an important platform to spread the message that **"Donating blood is a noble act that can save many lives."**

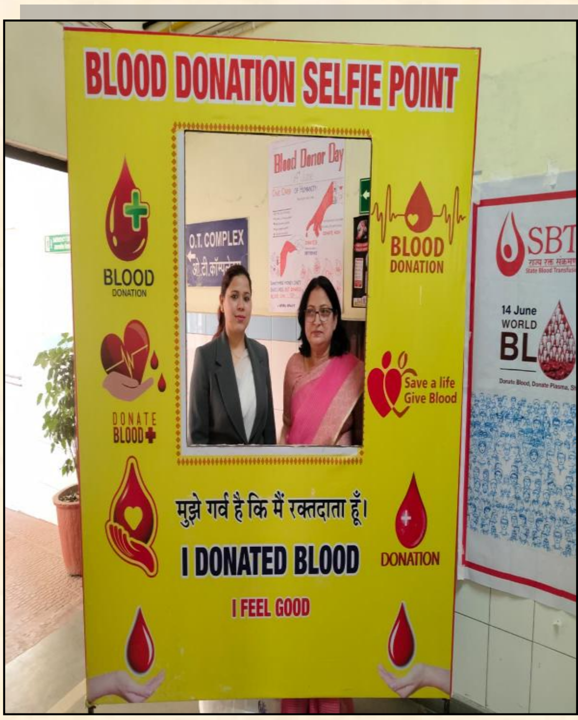

On the occasion of World Blood Donor Day, a **Voluntary Blood Donation Camps** were organized under the aegis of the District Legal Services Authorities. During the programme, participants were informed about the significance of voluntary blood donation and the role of blood donors in saving precious human lives.

The awareness programme emphasized that a healthy individual can safely donate blood and that one unit of donated blood may help multiple patients in need. Information was also provided regarding the medical uses of donated blood, including treatment of accident victims, surgical patients, pregnant women suffering from severe anemia, children with thalassemia, patients with blood disorders, and those undergoing cancer treatment.

As part of the awareness campaign, Para Legal Volunteers (PLVs) and legal awareness functionaries motivated citizens in their respective areas to participate in voluntary blood donation and to support humanitarian causes.

The observance of World Blood Donor Day 2026 by the District Legal Services Authorities proved to be a meaningful and impactful initiative. Through the organization of a blood donation camp, dissemination of awareness regarding safe blood donation, and circulation of the district blood donor database, the programme contributed towards promoting humanitarian values and encouraging voluntary blood donation for the benefit of society.

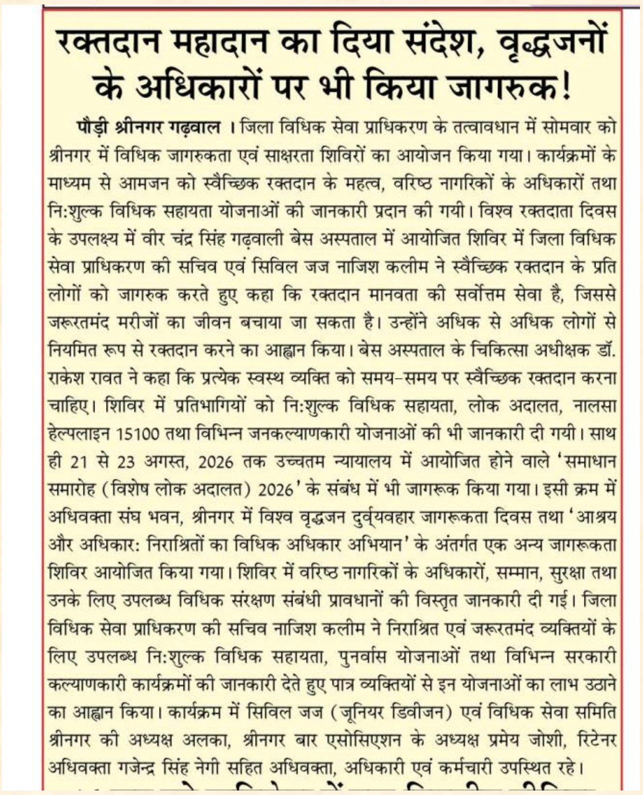

रक्तदान महादान का दिया संदेश, वृद्धजनों के अधिकारों पर भी किया जागरुक!

पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को श्रीनगर में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बेस अस्पताल में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाजिश कलीम ने स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि रक्तदान मानवता की सर्वोत्तम सेवा है, जिससे जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया। बेस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश रावत ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए। शिविर में प्रतिभागियों को नि:शुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 15100 तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गयी। साथ ही 21 से 23 अगस्त, 2026 तक उच्चतम न्यायालय में आयोजित होने वाले 'समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026' के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसी क्रम में अधिवक्ता संघ भवन, श्रीनगर में विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस तथा 'आश्रय और अधिकार: निराश्रितों का विधिक अधिकार अभियान' के अंतर्गत एक अन्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा तथा उनके लिए उपलब्ध विधिक संरक्षण संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम ने निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सहायता, पुनर्वास योजनाओं तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं विधिक सेवा समिति श्रीनगर की अध्यक्ष अलका, श्रीनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमेय जोशी, रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह नेगी सहित अधिवक्ता, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

The District Legal Services Authority remains committed to conducting such awareness programmes in collaboration with the health department and other stakeholders for the welfare of the public and to ensure timely assistance during medical emergencies.

रक्तदान से जनसेवा का दिया संदेश

अल्मोड़ा में 14 यूनिट रक्त संग्रहित, कई लोगों ने पहली बार लिया हिस्सा

विश्व रक्तदाता दिवस

संवाद न्यूज एजेंसी

अल्मोड़ा। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रविवार को पंड़ित हर गोविंद पंत जिला अस्पताल, अल्मोड़ा में रेडक्रॉस सोसायटी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना, जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

शिविर में कुल 14 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कई ऐसे रक्तदाता भी शामिल रहे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। सोसायटी के कोषाध्यक्ष दीप जोशी ने भी ब्लड डोनेट किया। उनकी पत्नी मोहिनी, असीम ढाली ने पहली बार जबकि विनीता आर्या, देवेश भट्ट, शंकर सिंह, विकास कुमार और हेम तिवारी आदि ने भी रक्तदान किया।

इस मौके पर पीएमएस डॉ. एससी गढ़कोटी, रेड क्रॉस सोसायटी अध्यक्ष आशीष वर्मा, रक्त प्रभारी डॉ. कपिल तिवारी, डॉ. जेसी दुर्गापाल, हेम तिवारी, मनोज धानिक, भावना तिवारी, नीमा बिनवाल, संदीप नयाल, दया आर्या आदि रहीं।

जिला अस्पताल अल्मोड़ा में पहली बार रक्तदान करतीं महिला। संवाद

The programme successfully fulfilled its objective of spreading awareness about voluntary blood donation, encouraging social responsibility and strengthening coordination between the health department and the legal services institutions for public welfare.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

S. N	District	No. of awareness activities organised	No. of persons attented such awareness activities	Nature of Such awareness activities organised	Details of awareness materials published and distributed	Any other relevant/ Information (Total No of Blood Donator)
1	**Almora**	43	875	Awareness Campaign, Rally and Nukkad-natak.	1000 Pamphlets.	09
2	**Bageshwar**	10	210	camps	Banner & Pamphlets.	269
3	**Chamoli**	25	620	Awareness Camps.		111
4	**Champawat**	26	353	Awareness Camps.	Banner & Pamphlets.	97
5	**Dehradun**	08	200	Awareness Camps.	Newspaper	41
6	**Haridwar**	24	450	Legal awareness Camps.	Banner & Pamphlets.	243
7	**Nainital**	40	6500	Awareness Camps and Blood Donation Camps.	Pamphlets.	80
8	**Pauri Garhwal**	09	374	Legal awareness Camps.	World blood Donor day Banner.	37
9	**Pithoragarh**	05	205	1 Blood donation camp and 4 awareness camps.	Slogans and Pamphlets.	15
10	**Rudraprayag**	10	223	Awareness camps.	Newspaper	--
11	**Tehri Garhwal**	75	1432	Awareness to encourage voluntary blood donation.	2000 Pamphlets.	Total 30 PLVs donate Blood and total 65 persons donate blood.
12	**Udam Singh Nagar**	06	491	Awareness Camps and Blood Donation Camps.	Pamphlets.	143
13	**Uttarkashi**	40	6500	Awareness Camps and Blood Donation Camps.	Banner & Pamphlets.	79

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADUN

HARIDWAR

NAINITAL

PAURI GARHWAL

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

UDHAM SINGH NAGAR

UTTARKASHI

रक्तदान कर दिया जीवन रक्षा का संदेश

पिथौरागढ़। विश्व रक्तदाता दिवस पर रविवार को पिथौरागढ़ में रक्तदान शिविर आयोजित हुए। इनमें आम जनता और आईटीबीपी के जवानों ने भाग लिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रेडक्रॉस सोसाइटी ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में शिविर लगाया। प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्तदान कई लोगों का जीवन बचा सकता है। इस शिविर में 25 स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मेयर कल्पना देवलाल ने कार्यक्रम में शामिल होकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। युवा वेलफेयर सोसायटी ने भी पिथौरागढ़ ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया। इसमें स्थानीय नागरिकों और आईटीबीपी के जवानों ने प्रतिभाग किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसएस नबियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। संवाद

विश्व रक्तदान दिवस पर जलाई जागरूकता की अलख

- रक्तदान से बचती हैं अनगिनत जिंदगियां: काजल रानी
- न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने मरीजों से मुलाकात कर वितरित किए फल एवं जूस

शाह टाइम्स संवाददाता

टनकपुर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर राजकीय उप चिकित्सालय टनकपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान शिविर एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक कर अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ना रहा।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी रहीं, जबकि अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. घनश्याम तिवारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. आफताब अंसारी एवं लैब पैथोलॉजिस्ट प्रभात कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी बिजेंद्र अग्रवाल ने किया। अपने संबोधन में न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।

उन्होंने बताया कि रक्त समूहों की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी, जिसके कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नई क्रांति आई। उन्होंने सभी नागरिकों से नियमित रक्तदान करने का आह्वान किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. घनश्याम तिवारी ने कहा कि रक्त और प्लाज्मा दान के माध्यम से प्रतिवर्ष लाखों लोगों का जीवन बचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर नगर में जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम के समापन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें फल एवं फ्रूटी जूस वितरित कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कार्यक्रम में पीएलवी विजेंद्र अग्रवाल, शमशाद बानो, इजहार अली, अर्जुन सिंह, अमित कुमार सहित अनेक पीएलवी एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

कलम की पहल | **पर्वतीय सीमांत क्षेत्र**

विश्व रक्तदाता दिवस पर उत्तरकाशी में रक्तदान शिविर, मतदाता जागरूकता अभियान भी चला

कलम की पहल@संवाददाता

उत्तरकाशी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रविवार को भारतीय रेडक्रॉस समिति, स्वीप उत्तरकाशी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं रेडक्रॉस भवन में विचार गोष्ठी और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एक ओर समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के प्रति नागरिकों को जागरूक करना भी रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सबसे पहले रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया और उपस्थित लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उनके इस कदम से प्रेरित होकर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के अधिकारियों व जवानों, पैरालीगल वालंटियर्स, अधिवक्ताओं तथा स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया।

सचिन कुमार ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, क्योंकि इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान करने के साथ अपने परिवार एवं मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।

रक्तदान शिविर के साथ-साथ स्वीप उत्तरकाशी के सहयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित युवाओं और नागरिकों को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने तथा मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के महत्व की विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जैसे स्वस्थ समाज के लिए रक्त की उपलब्धता जरूरी है, उसी प्रकार मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।

कार्यक्रम में "रक्तदान महादान" और "कोई भी पात्र मतदाता न छूटे" का संदेश देते हुए लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एस. रावत, रेडक्रॉस समिति उत्तरकाशी के चेयरमैन माधव जोशी, सचिव डॉ. रतन मणि भट्ट, स्वीप प्रभारी डॉ. शम्भू प्रसाद नौटियाल तथा स्वीप आइकन स्वाति नौटियाल सहित जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रॉस स्वयंसेवक और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन मानव सेवा और जन-जागरूकता के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

INTERNATIONAL DAY OF YOGA AND CLEANLINESS DRIVE (14th June,2026)

With a view to creating awareness among the general public about the importance of yoga and promoting a healthier lifestyle, and in compliance with the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, all DLSAs were directed to celebrate the **"International Yoga Day"** and also **Cleanliness Drive** on 21st June, 2026.

Yoga And Cleanliness Message Given From District Court Premises On International Yoga Day

- **Cleanliness Drive Led by Secretary Sachin Kumar Reached Vishwanath Chowk**
- **Judicial Officers, Advocates and Para-Legal Volunteers Participated Actively**

Thakur Surendra Pal Singh

Uttarkashi (The Hawk): On the occasion of International Yoga Day, a special yoga session was organized in the premises of the District Court under the aegis of the District Legal Services Authority (DLSA), Uttarkashi. The programme was conducted in accordance with the directions of the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, and the District Judge and Chairman of DLSA, Uttarkashi.

Judicial officers, advocates, court staff and para-legal volunteers enthusiastically participated in the yoga session, which highlighted the importance of adopting a healthy lifestyle and incorporating yoga into daily life.

Following the yoga session, a special cleanliness drive was carried out from the District Court premises to Vishwanath Chowk and other public places. Participants cleaned the surroundings and appealed to the public to maintain cleanliness and contribute towards a healthy environment.

The programme and cleanliness campaign witnessed the active participation of DLSA Secretary Sachin Kumar, Civil Judge (Senior Division) Jayshree Rana, Civil Judge (Junior Division) Nancy Chhabra, District Bar Association President Mahavir Prasad Bhatt, senior assistants of the court, employees, advocates and para-legal volunteers.

On the occasion, participants emphasized that yoga and cleanliness are the foundations of a healthy society and urged people to adopt yoga in their daily lives and fulfil their responsibility towards maintaining cleanliness. The programme conveyed a strong message in support of the vision of a healthy and clean India.

The programmes were organized to promote the importance of yoga in achieving physical, mental, and spiritual well-being Emphasizing the connection between yoga, cleanliness and environmental consciousness, the Hon’ble Executive Chairman, UKSLSA has been pleased to direct the Legal Services Institutions in the State to organize a statewide **Cleanliness Drive** on 21.06.2026 in conjunction with the observance of International Yoga Day, promoting collective responsibility towards a healthy and sustainable environment.

Accordingly, on the occasion of International Yoga Day, various programmes were organized by the DLSAs and TLSCs in the District Court & Tehsil Complexes. The event was organized in collaboration with **concerned stakeholders**. The programme commenced with a mass yoga session in which Judicial Officers, Advocates, Court Staff, and other participants enthusiastically took part. Under the guidance of trained yoga instructors, participants performed various yoga Asanas, Pranayama and

Meditation exercises. They were also sensitized about the physical, mental, and spiritual benefits of yoga. Participants were appealed to adopt yoga as a regular part of their daily lives and to motivate others to do the same.

योग दिवस पर जिला न्यायालय और कारागार में हुआ योगाभ्यास, स्वच्छता अभियान व पौधारोपण

हरिद्वार (बद्री विशाल)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर एवं जिला कारागार में योग शिविर आयोजित कर योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, स्वास्थ्य विभाग, आईटीसी तथा सुनहरा कल एनजीओ के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता महाअभियान भी चलाया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योग शिविर से हुआ, जिसमें प्रभारी जिला जज राकेश कुमार सिंह सहित न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिकार मित्रों ने सहभागिता की। योग एवं प्राणायाम के माध्यम से सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ और निरोगी जीवन का संकल्प लिया।

इस अवसर पर प्रभारी जिला जज राकेश कुमार सिंह ने कहा कि योग भारत की प्राचीन जीवन शैली और विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से स्वस्थ जीवन के साथ सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का विकास होता है।

योग शिविर के उपरांत न्यायालय परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके बाद जिला कारागार में भी योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बंदियों और कारागार कर्मियों ने योगाभ्यास कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

जिला कारागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्म-सुधार का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

इसके बाद रोशनाबाद स्थित नवोदय नगर के पीठ बाजार मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, स्वास्थ्य विभाग, आईटीसी एवं सुनहरा कल एनजीओ के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत क्षेत्र की साफ-सफाई कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

स्वच्छता अभियान के समापन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मैदान में सामूहिक पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के अधिकारमित्र, लॉ इंटर्न्स, पैनल अधिवक्तागण, रिटेनर अधिवक्ता सीमा, अधिवक्ता रमन कुमार सैनी, अधिवक्ता आदिल अली, नगर पालिका परिषद एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, एनजीओ प्रतिनिधि तथा पर्यावरण प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Further, on the occasion of Yoga Day, a special cleanliness awareness and cleanliness drive were also organized. The drive commenced from the Judgeship Complex and continued up to the nearby and adjoining areas. Judicial Officers, Advocates, Court Staff, PLVs and other participants actively participated in the campaign.

During the cleanliness drive, the garbage/litters scattered across the areas were collected and deposited in the designated dumping zone. Biodegradable and non-biodegradable waste was segregated and disposed of separately in accordance with waste management practice.

HON'BLE HIGH COURT

Consolidated Report of the Activities conducted under the Yoga Day and Cleanliness Drive is as under:

S.N.	Particulars	report
1	No. of Yoga Sessions Conducted	65
2	No. of Participants	3632
3	No. of cleanliness drive conducted	241
4	No. of participants	7775
5	No. of PLVs deployed	1241
6	Departments/ Institutions associated	• District Courts • Forest Department • Concerned Nagar Nigam/Palika • Educational Institutions • NGOs in the districts • Gram Panchayats • Zila Panchayats
7	Activities Undertaken	• Yoga Sessions • Cleanliness Drive • Plantation Drive • Awareness Camps & Rallies
8	No. of Venue / location covered	203
9	Waste collected / disposed (Quantity or nature of waste, if recorded)	3536
10	Special Initiatives Undertaken	• Conducted awareness on the hazards of single-use plastic • Yoga Session also conducted in District Jails • Installation of Dustbins by Zila Panchayats • Special Drive was conducted to clean Badrinath Highway
11	Remark	• Drive conducted successfully with excellent coordination of concerned stakeholders in the district. • Cleanliness Drive visible impact and fostered strong community participation • Along with the cleanliness drive, awareness rallies were also organized to sensitize the public about the importance of cleanliness and hygiene. Created awareness among people in rural and urban areas, schools and other public places regarding the significance of maintaining clean surroundings and promoting a healthy environment.

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADUN

HARIDWAR

NAINITAL

PAURI GARHWAL

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

UDHAM SINGH NAGAR

UTTARKASHI

अमर हिन्दुस्तान

जिला जज विंध्याचल सिंह के नेतृत्व में सार्थक पहल

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर गोपेश्वर में चला स्वच्छता अभियान

- जिलाधिकारी कार्यालय गोपेश्वर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर तक स्वच्छता अभियान चलाया

अमर हिन्दुस्तान

गोपेश्वर।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली एवं नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को जनपद न्यायाधीश विंध्याचल सिंहकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्थक बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय गोपेश्वर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही बालिका इंटर कॉलेज से गैस गोदाम और मंडल रोड पर श्रमदान कर अन्यत्र बिखरे जैविक और अजैविक कूड़े कचरे को एकत्रित कर कूड़ा संरक्षित क्षेत्र (डंपिंग जोन) में पृथक्कीकरण के लिए भेजा गया।स्वच्छता अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव पुनीत कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अनिल पंत, वन विभाग और जिला न्यायालय के कर्मचारीगण तथा आम जन मानस द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस मौके पर जनपद न्यायाधीश विंध्याचल सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई तथा पुनीत कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली द्वारा बताया गया कि योग इंसानों और प्रकृति के बीच तालमेल का प्रतीक है जिससे न केवल शारीरिक और मानसिक सेहत को बढ़ावा मिलता है बल्कि स्वच्छता पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जीवन के मूल्यों को भी बढ़ावा देता है। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखें जिससे समाज के लिए एक स्वच्छ वातावरण बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिल सके।

Cleanliness Drive in Haridwar

हल्द्वानी, सोमवार, 22 जून 2026 7

एक नजर

विश्व योग दिवस पर न्यायालय परिसर में हुआ योगाभ्यास

शाह टाइम्स संवाददाता

टनकपुर। विश्व योग दिवस के अवसर पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति टनकपुर द्वारा बाह्य न्यायालय परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज प्रथम रूचिका नरूला ने की। इस दौरान न्यायालय के समस्त स्टाफ, अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

पीएलवी ने चलाया स्वच्छता अभियान

www.dainikhawk.com facebook.com/dainikhawk
epaper.dainikhawk.com twitter.com/dainikhawk

जिला न्यायालय एवं जिला कारागार में योग दिवस मना कर स्वच्छता अभियान चलाया

हरिद्वार (दैनिक हाक): अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर एवं जिला कारागार में योग कर योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर स्वास्थ्य विभाग आईटीसी एवं सुनहरा कल एनजीओ ने संयुक्त रूप से स्वच्छता महा अभियान के तहत नवोदय नगर और न्यायालय परिसर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम में प्रभारी जिला जज राकेश कुमार सिंह ने कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली और विज्ञान है जो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखता है। शिविर में प्रभारी जिला जज सहित न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारीयों और अधिकार मित्रों ने प्रतिभाग किया। योग शिविर के बाद न्यायालय परिसर में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। तत्पश्चात जिला कारागार में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्म-सुधार का सबसे सशक्त माध्यम है। योग शिविर के बाद नवोदय नगर (रोशनाबाद) के पीठ बाजार मैदान में स्वच्छता अभियान का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगरपालिका परिषद (शिवालिक नगर), स्वास्थ्य विभाग, आईटीसी सुनहारा कल एनजीओ के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया।

पूरे क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मैदान पर सामूहिक रूप से पौधारोपण भी किया गया।

प्राधिकरण के अधिकार मित्र, लॉ इंटर्न्स, प्राधिकरण के पैनल अधिवक्तागण, रिटेनर अधिवक्ता सीमा, अधिवक्ता रमन कुमार सैनी व आदिल अली, नगरपालिका परिषद व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, एनजीओ के प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे।

New Module Legal services(Multi-Purpose) Camp

Organized by: District Legal Services Authority, Bageshwar
Date: 21st June 2026
Venue: Pandit Badri Dutt Pandey Government Degree College, Bageshwar

In compliance with the directions issued by the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, the District Legal Services Authority, Bageshwar organized a **Multi-Purpose Legal Awareness and Literacy Camp** on **21st June 2026** at **Pandit Badri Dutt Pandey Government Degree College, Bageshwar**.

The camp was inaugurated in the gracious presence of **Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari, Executive Chairman, UKSLSA**, and **Hon'ble Mr. Justice Alok Mahra, Administrative Judge, Bageshwar**. The programme was coordinated by the Chief Judicial Magistrate, Bageshwar.

नैनीताल, सोमवार 22 जून, 2026 — उत्तर उजाला — उत्तराखण्ड

बहुद्देशीय शिविर में उमड़ा जनसैलाब

विभिन्न विभागों ने लोगों को दी योजनाओं की जानकारी, शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाए गए

बागेश्वर। जनपद बागेश्वर में करीब डेढ़ दशक बाद आयोजित बहुद्देशीय विधिक साक्षरता, चिकित्सकीय एवं जन-जागरूकता शिविर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में आयोजित इस विशाल शिविर में विभिन्न विभागों ने एक ही छत के नीचे आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया।

शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी तथा न्यायमूर्ति आलोक माहरा ने किया। उनके मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की व्यापक सहभागिता रही। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार मणि ने बताया कि शिविर में जिला प्रशासन, पुलिस, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, पशुपालन, जिला पूर्ति, ग्राम्य विकास, जिला पंचायत राज, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, उरेडा, उद्यान, पर्यटन, सैनिक कल्याण, मत्स्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल संस्थान समेत अनेक विभागों के स्टॉल लगाए गए।

शिविर में स्टालों का निरीक्षण करते न्यायाधीश तिवाड़ी

विभागीय अधिकारियों ने लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी शिकायतों और समस्याओं का भी निस्तारण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता कुमारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त जांच और दवा वितरण की व्यवस्था की गई। शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए तथा समाज कल्याण विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सहयोग से दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी और लाठी भी प्रदान की गई। श्रम विभाग ने श्रमिकों का पंजीकरण किया तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं अन्य विभागों ने अपने-अपने स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आमजन को विधिक जानकारी उपलब्ध कराना, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जरूरतमंद लोगों ने शिविर में पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया। करीब 15 वर्षों बाद आयोजित इस बहुद्देशीय शिविर ने न केवल लोगों को विधिक जागरूकता प्रदान की, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारी जनसहभागिता ने शिविर की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाया।

24 को सुनीं जाएंगी

Department-wise Data

S. No.	Department	Scheme/Programme	Services Provided	Beneficiaries/Output
1	District Legal Services Authority	Free Legal Aid, NALSA & UKSLSA Schemes	Legal awareness, legal consultation, help desk, petitions, photocopy facility	Legal assistance provided to all visitors
2	Social Welfare Department	Old Age Pension, Widow Pension, Disability Pension, SC/ST Self Employment Scheme	Information regarding welfare schemes	Scheme awareness provided
3	Tourism Department	Home Stay Scheme	Information regarding loan assistance up to ₹30 lakh in Home Stay Scheme.	Public awareness
4	Horticulture Department	Vegetable Production, Mushroom Cultivation, Fruit Cultivation Schemes	Seeds distribution and subsidy information	33 beneficiaries received seeds
5	Agriculture Department	Agricultural Equipment & Seed Distribution	Distribution of seeds and agricultural implements	27 beneficiaries
6	Women Welfare & Child Development Department	Mahalakshmi Kit Scheme	Distribution of Mahalakshmi Kits and counselling	10 women received kits
7	Rural Development Department	Various Rural Development Schemes	Information and beneficiary support	Public awareness
8	Revenue Department	Public Service Delivery	On-the-spot grievance redressal	57 beneficiaries
9	Panchayati Raj Department	Family Register Services	Family register-related services	25 beneficiaries
11	Food & Civil Supplies Department	Public Distribution System (PDS)	Ration card grievance redressal	13 beneficiaries
12	Animal Husbandry Department	Livestock Welfare Schemes	Distribution of medicines, fodder seeds and veterinary support	43 beneficiaries
13	Health	General Health	Health check-up,	203 health check-ups;

	Department	Services	medicines, blood sugar tests	30 blood sugar tests
14	Medical Board	UDID & Disability Certification	Mental disability certificates, disability certificates	26 Mental Disability Certificates, 42 UDID Certificates, 10 Disability Certificates
15	Baba Haidakhan Trust	Eye Care Programme	Eye examination and free medicines	220 eye examinations
16	Shubhanu Netra Hospital	Eye Care Programme	Eye examination and free spectacles	225 eye examinations; 150 spectacles distributed
17	Social Welfare Department	Assistive Device Distribution	Wheelchairs, hearing aids, walking sticks	11 wheelchairs, 40 hearing aids, 6 walking sticks
18	Skill Development / Self Employment	Livelihood Support	Sewing machines, blankets, tarpaulins, solar lanterns, water purifiers, umbrellas	40 sewing machines, 30 blankets, 10 solar lanterns, 10 water purifiers, 15 umbrellas
19	Industry Department	MSME Promotion	Cheques and Crockery and water bottle distributed	20 beneficiaries
20	Education / NCC	Student Welfare	School bags, track suits and prizes	Distributed among students and NCC cadets

Wide publicity was carried out through:

- Distribution of banners and pamphlets
- Loudspeaker announcements
- Village-level awareness campaigns
- Public outreach through Justice on Wheels (NALSA & SLSA initiative)

During the camp, the participants were informed about:

- Free Legal Aid under the Legal Services Authorities Act, 1987
- NALSA and UKSLSA welfare schemes
- Victim Compensation Scheme
- Rights of citizens
- Legal awareness and access to justice
- Government welfare schemes
- Legal rights of women, children, senior citizens, labourers and vulnerable sections.

As part of the Multi-Purpose Legal Awareness and Literacy Camp, a **plantation drive** was conducted under the leadership of **Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari, Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority**. The plantation programme highlighted the importance of environmental conservation and sustainable development.

*****